# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 188 / 2023 GCMS No.—2022/120

पूर्व दर्ज नंबर 39 / 2022

अशोक कुमार शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर निवासी ई–9, प्रताप नगर, शास्त्री नगर, जयपुर।

..निगरानीकर्ता

बनाम

1. हरिनारायण शर्मा पुत्र श्री दामोदर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम धौला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. सुमित्रा पत्नी हरिनारायण शर्मा पुत्री श्री दामोदर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी कुकेडला वाया भामोद तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
3. सावित्री पत्नी जगदीश प्रसाद पुजारी पुत्री श्री दामोदर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना बस स्टेण्ड शाहपुरा, जिला जयपुर।
4. सुनिता पत्नी सत्यनारायण त्रिवेदी पुत्री दामोदर प्रसाद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी प्लाट नंबर 136 विजयवाडी पथ नम्बर 1 ढेहर का बालाजी सीकर रोड, जयपुर।
5. सरपंच ग्राम पंचायत धौला पंचायत समिति जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

.....विपक्षीगण

---

निगरानी याचिका अर्न्तगत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम 1994 बाबत खारिज किये जाने आदेश दिनांक 07.06.2016 के तहत विधि विरूद्ध तरीके से दामोदर प्रसाद शर्मा के नाम से जारी पट्टे में संशोधन करने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राजेन्द्र डांगरवाडा अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 20.01.2025

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी ग्राम पंचायत धौला, पंचायत समिति जमवारामगढ के आदेश दिनांक 20.07.2016 की पालना प्रस्ताव संख्या 1 द्वारा निगरानीधीन पट्टे के संबंध में संशोधन आदेश जारी किया गया, जिससे असंतुष्ट होकर 18.08.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत की है।

निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र डांगरवाडा उपस्थित आये। गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 4 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। गैर निगरानीकार संख्या 2 लगायत 4 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत की मिसल तलब की गई। प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध निगरानीधीन आदेश की प्रमाणित प्रति एवं दस्तावेज के आधार पर उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

योग्य अभिभाषक निगरानीकार द्वारा कथन किया गया कि ग्राम पंचायत धौला द्वारा पूर्व में दिनांक 25.05.1971 को दामोदर प्रसाद शर्मा के पक्ष एक रिहायशी पट्टा जिसका क्षेत्रफल दिनांक 25.05.1971 को दामोदर प्रसाद शर्मा के पक्ष में पट्टा जारी किया था। निगरानीकार के पिता दामोदर प्रसाद की मृत्यु 05.04.1998 को हो चुकी है एवं दामोदर प्रसाद के हक में जारी पट्टा उनके समस्त विधिक वारिसान के नाम दर्ज होना चाहिए। उक्त पट्टे की भूमि पर दामोदर के समस्त विधिक वारिसान काबिज है, जिसको ग्राम पंचायत ने बिना उनके समस्त वारिसान को सुने पट्टा हरिनारायण के नाम दर्ज करने के आदेश दे दिये। जिससे पीडित होकर निगरानीकार द्वारा यह निगरानी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधि विधान एवं पंचायती राज अधिनियम के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत के समक्ष निगरानीकार द्वारा दिनांक 13.06.2016 को ही एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उक्त पट्टा उनके पिता जी की सम्पत्ति है। उक्त पट्टे में किसी प्रकार का संशोधन निगरानीकार को बिना सुने सरपंच द्वारा दिनांक 13.06.2016 को कर दिया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत ने यह माना है कि पट्टा हरिनारायण पुत्र दामोदर के नाम जारी किया गया है परन्तु ग्राम पंचायत ने इस बिन्दू पर कतई गौर नहीं किया कि पट्टे में प्रथम नाम दामोदर दर्ज है। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली को तलब नहीं किया गया एवं बिना दस्तावेजो के आधार पर ही आदेश पारित कर दिया। दामोदर प्रसाद के पक्ष में दिनांक 25.05.1971 को पट्ट जारी किया गया उसके 45 वर्ष पश्चात ग्राम पंचायत को उक्त पट्टे के संबंध में किसी प्रकार संशोधन का वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा ना तो निगरानीधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौके की रिपोर्ट ली गयी एवं ना ही किसी प्रकार की जांच की गयी। ऐसी स्थिति में निगरानीधीन आदेश विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार जाकर ग्राम पंचायत धौला के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.06.2016 को निरस्त फरमाया जावे।

वकील अधिवक्ता विपक्षी संख्या एक दौराने बहस कथन किया गया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमों में ग्राम पंचायत द्वारा आदेश दिनांक 07.06.2016 को पारित किये जाने का उल्लेख किया गया है जबकि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 07.06.2016 को किसी प्रकार का आदेश ही पारित नहीं किया गया साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा इस संबंध में जरिये पत्र भी सूचना दी गयी है इसलिए प्रथम दृष्टया ही निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। निगरानीकार द्वारा गलत तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर निगरानी पेश की गयी है, ग्राम पंचायत द्वारा तत्समय गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में ही पट्टा जारी किया गया था एवं त्रुटिवश सहबन से हुयी त्रुटि को सुधार किया जो ग्राम पंचायत का क्षेत्राधिकार था इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत धौला द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 1 आदेश दिनांक 20.07.2016 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर है कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 25.05.1971 को गैर निगरानीकार संख्या 1 हरिनारायण को पट्टा संख्या 47 जारी करना पाया गया एवं पट्टे में हरिनारायण पुत्र दामोदर प्रसाद जोशी के स्थान पर दामोदर वल्द हरिनारायण लिखा गया जिस बाबत ग्राम पंचायत द्वारा संशोधन पत्र जारी किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा निगरानीधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे से संबंधित पट्टा पत्रावली का अवलोकन किया जाना एवं मौके की जांच भी किया जाना जाहिर होता है। गैर निगरानीकार द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर होता है निगरानीकार ने प्रशासन एवं स्थापना समिति के समक्ष भी निगरानीधीन आदेश/पट्टे से संबंधित प्रकरण प्रस्तुत किया था एवं प्रशासन स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा प्रस्ताव संख्या 14 दिनांक 19.12.2023 के अनुसार निगरानीधीन संशोधन आदेश का अधिकार ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में है इसलिए निर्धारित प्रकियानुसार किये गये संशोधन बाबत ग्राम पंचायत धौला के निर्णय के हक हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। इस आधार पर प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निगरानीकार का प्रकरण का निराकरण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा पत्रावली की प्रमाणित प्रति यथा ग्राम पंचायत धौला की कार्यवाही, पट्टा लेने हेतु गैर निगरानीकार संख्या 1 का आवेदन पत्र दिनांक 24.10.1967, आपत्ति नोटिस दिनांक 28.10.1967 की प्रमाणित छायाप्रतियों के अवलोकन से ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 के हक में जारी किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए प्रथम दृष्टया निगरानीकार द्वारा निगरानी मीमो में अंकित किया गया कथन कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा निगरानीकार एवं गैर निगरानीकार संख्या 1 के पिता दामोदर प्रसाद को जारी किया गया था उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर पारित संशोधन आदेश दिनांक 20.07.2016 नियमानुसार न्यायोचित पाया जाता है इसलिए निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी मेन्टेनबल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रमाणित छायाप्रति ग्राम पंचायत धौला को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनिता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर